38

CAVEAT

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित / विलोपित 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES 20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 5037-दो/17

गोलरू पिता बहोर उर्फ सरजूधरकार उम्र 60 वर्ष पेशा मजदूरी नि0

ग्राम मेढौली तह0 सिगरौली जिला सिगरौली म0 प्र0---- निग0 /आवे0

बनाम0

1:- दयाराम तनय सुखदेव कलार

2:- सुंभकरण तनय सरजूधरकार दोनो निवासी ग्राम मेढौली तहसील

सिगरौली जिला सिगरौली म0 प्र0 -------- गैर निग0 कर्ता0 गण

आवेदक की ओर से श्री नीरज द्विवेदी एड. द्वारा पेश/27-1-17

27-1-17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त संभाग रीवा के प्र.क्र. 01/पुर्न0 /14-15 आदेश दि0-28-2-15 एवं अपर-आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र.क्र. 373/ अपील / 08-09 आदेश दि0- 9-10-13

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

---

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5037–दो / 2017 जिला– सिंगरौली

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 4-4-18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला एवं अनावेदक अधिवक्ता केवियेटकर्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित।<br>2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 01 / पुर्नावलोकन / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.02.15 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 373 / अपील / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 9.10.2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।<br>2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 11 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह्य की जाती है।<br>(एस0 एस0 अली)<br>सदस्य | |